प्राथमिकता/समयबद्ध-30/06/2017

संख्या-8/2017/1223/86-2017-132/2016

प्रेषक,

डा० बलकार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 27 जून, 2017

विषयः- "उ०प्र० जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास" को क्रियाशील किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-489/86-2017-132/2016, दिनांक 25/04/2017 द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) की स्थापना की गयी है। उक्त न्यास की संरचना एवं उसके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों से प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017" बनायी गयी है, जिसका प्रख्यापन अधिसूचना दिनांक 15/05/2017 द्वारा किया जा चुका है। उक्त न्यास नियमावली के अनुसार जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अपने-अपने जनपद में अपने कार्यकलापों को सम्पादित करने हेतु अर्ह है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में नियमावली के प्राविधान के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुये 'शासी परिषद' एवं 'प्रबन्ध समिति' का गठन कर दिनांक 30/06/2017 तक न्यास को क्रियाशील कर अनुपालन आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये, शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा० बलकार सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 1223(1)/86-2017, **तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-232/एस 37(डीएमएफ)/2016, दिनांक 31/05/2017 के सन्दर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त निर्देशो का दिनांक 30.06.2017 तक अनुपालन कराकर समेकित आख्या/सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
आत्मा राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in